तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6/2018 प्रा. पत्र अवमानना नानू बनाम तहसीलदार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.6.2018	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अवमानना पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3.8.1990 को निर्णय पारित किया गया था, जिसकी पालना में अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये आदेश दिनांक 3.8.1990 की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3.8.1990 को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सांभर को विधिवत जांच कर प्रकरण में नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया था, लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि प्रार्थी के पिता नानू द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो और उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई करने से इन्कार कर दिया हो। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मूल अपीलान्ट नानू पुत्र डालू का देहान्त हो चुका है तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को 28 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा 28 वर्ष की अवधि पश्चात यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	